

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 416 /2022

- उनवान
- 1- उदा पुत्र बंदी गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 2- चन्ता पुत्री बंदी गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 3- ठममू पत्नी बंदी गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 4- धन्ना पिता रामा गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 5- महावीर पिता बंदी गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 6- राजू पिता बंदी गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

- बनाम
- 1-2 धन्ना, रामचन्द्र पिता मोती गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 3- सुखा पिता(दत्तक) परसा गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 4- ऐजन पत्नी किसर गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 5-6 केलाश, केलाशी पिता किसन गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 7- गीता पुत्री मांगू गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 8- गोपाल पिता बलदेव गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 9- चन्ता पुत्री किसन गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 10- जमना पुत्री बरदा गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 11- जमनी पत्नी मांगू गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 12- देवी लाल पिता रामचन्द्र गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 13- नाथू पिता बलदेव गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 14- प्रेम पुत्री रामचन्द्र गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 15- भेरू पिता मांगू गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 16- मगनी देवी पत्नी रामचन्द्र गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 17- मनभर पुत्री मांगू गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 18- माया पुत्री किसन गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 19- राधा पुत्री किसन गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 20-21 रामकन्या, लाली, पिता बरदा गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 22- लाली पुत्री मांगू गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 23- सुखा पिता बरदा गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
 - 24- सरजू पत्नी बरदा गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री कन्हैयालाल धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 12.12.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का डीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2487 रकबा 1.45 है0, 2486 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 रकबा 1.73 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिह्न नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करावाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 14, 17, 20, 21 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 1 लगायत 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का डीकोला संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कल्याणपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 1.73 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 800/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को सरें ईजलास सुनाया गया।



प्रतिनिधि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा